रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 1995/चैत्र 14, 1917
No. 156] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 1995/CHAITRA 14, 1917

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1995

सा. का. नि. 330 (अ):— केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भोपाल गैस विभीषिका (दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) स्कीम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम भोपाल गैस विभीषिका (दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) संशोधन स्कीम, 1995 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ;

2. भोपाल गैस विभीषिका (दावा रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही स्कीम 1985 में पैरा 13 के उप पैरा (3) "आयुक्त" शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"या आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रभारी आयुक्त।"

[फाईल सं. 21/1/95-भोपाल सेल]

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण में जी. एस. आर. 751(अ) दिनांक 24 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और बाद में जी.एस. आर. 927(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1987, जी. एस. आर. 394 (अ) दिनांक 28 मार्च, 1988, जी. एम. आर. 310 (अ) दिनांक 5 मार्च, 1992 और जी. एस. आर. 910(अ) दिनांक 2 दिसम्बर, 1992 तथा जी. एस. आर. 449(अ) दिनांक 9-6-93 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1995

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985, namely :—

1. (i) This scheme may be called the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Amendment Scheme, 1995;

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1995, in sub-paragraph (3) of paragraph 13 after the word "Commissioner" the following words shall be inserted, namely :—

"or Commissioner-in-Charge in the absence of the Commissioner"

[File No. 21/1/95-B. Cell]

VINOD VAISH, Jt. Secy.

FOOT NOTE.—The principal scheme was published in Gazette of India Extraordinary vide G.S.R. No. 751(E) dt. the 24th September, 1985 subsequently was amended vide G.S.R. 927(E) dt. the 19th November, 1987, G.S.R. No. 394(E) dt. the 28th March, 1988 and G.S.R. 310(E) dt. the 5th March, 1992 and G.S.R: 910(E) dt. 2-12-1992 and G.S.R. 449(E) dt. 9-6-93.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995